# Chapter 3:

## Private, Public & Global Enterprises

## निजी, सार्वजनिक और वैश्विक उद्यम

## Part 1

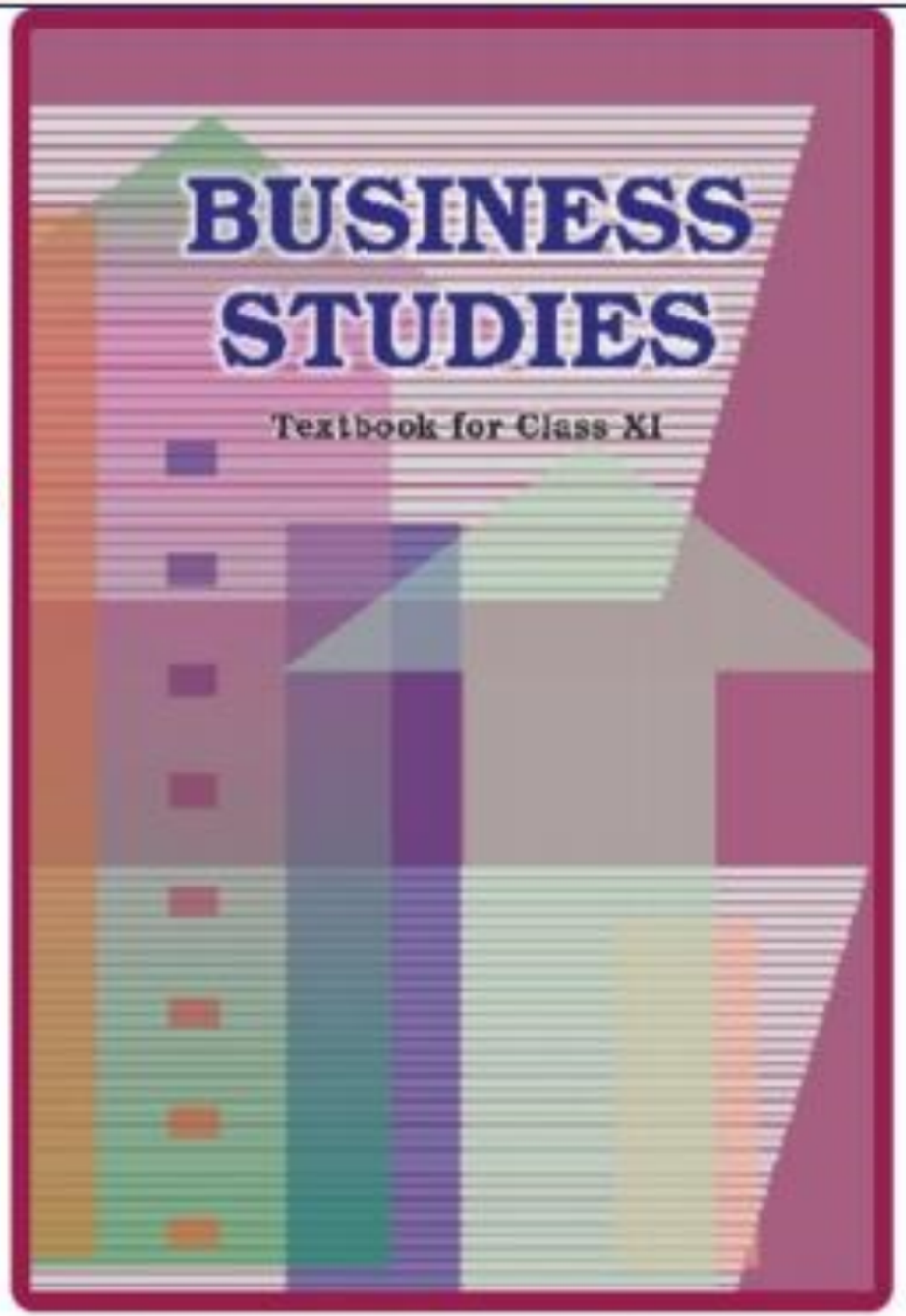

The forms of organisation which a public enterprise may take are _____.

a. Departmental undertaking

b. Cooperative

c. Statutory corporation

d. Government company

(a) Only a, b, and c

(b) Only a, c and d

(c) Only b, c and d

(d) Only a, b and d

एक सार्वजनिक उद्यम के संगठन के रूप _____ हो सकते हैं।

a. विभागीय उपक्रम

b. सहकारी

c. सांविधिक निगम

d. सरकारी कंपनी

(a) केवल a, b, और c

(b) केवल a, c और d

(c) केवल b, c और d

(d) केवल a, b और d

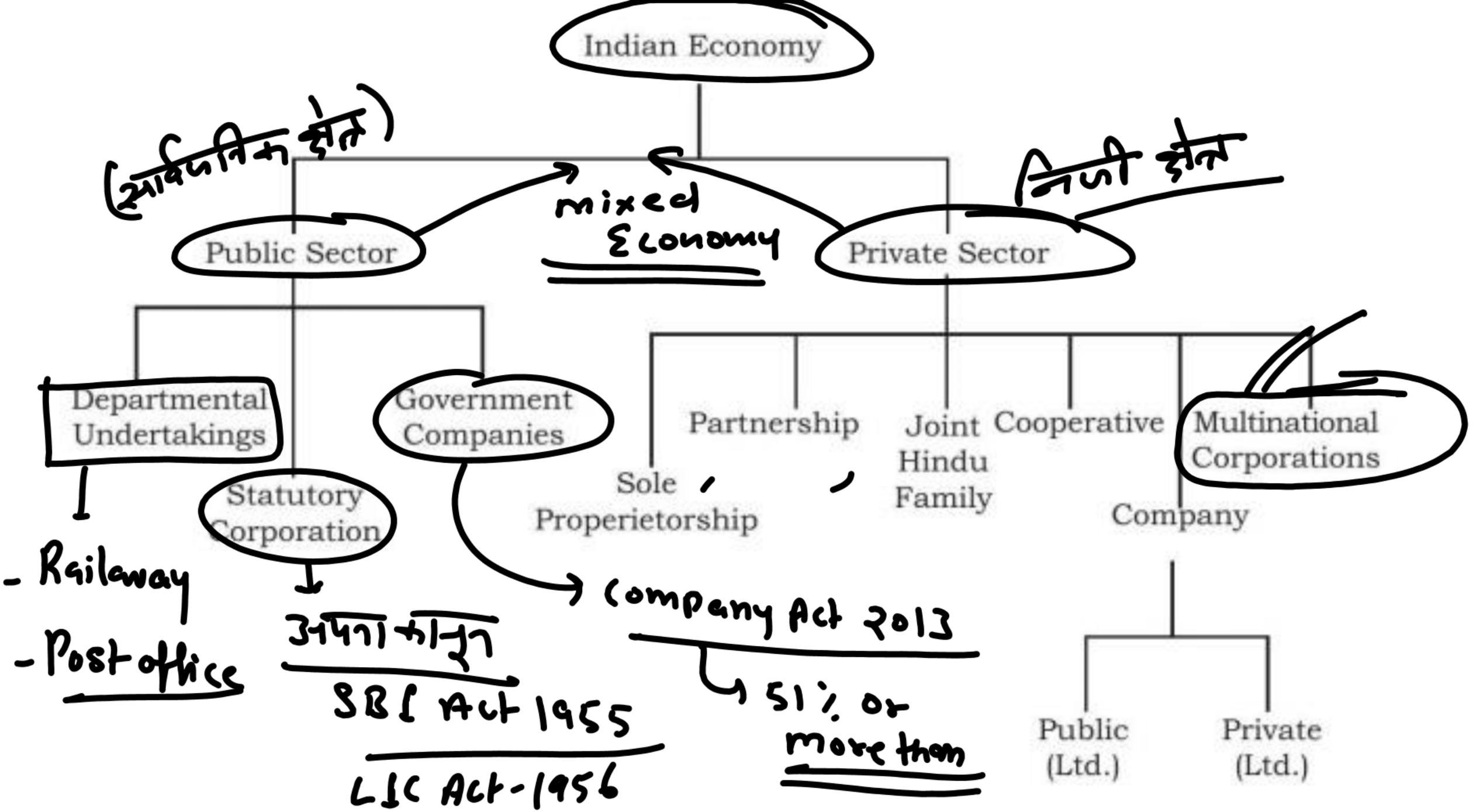
Indian Economy
(सार्वजनिक क्षेत्र)
Public Sector
mixed Economy
Private Sector
निजी क्षेत्र
Departmental Undertakings
Government Companies
Statutory Corporation
Sole Properietorship
Partnership
Joint Hindu Family
Cooperative
Company
Multinational Corporations
- Railway
- Post office
अधिनियम
SBI Act 1955
LIC Act-1956
Company Act 2013
51% or more than
Public (Ltd.)
Private (Ltd.)

→ Statutory Company → सरकार

कहां से फंड लेती है।
(a) Budget से
(b) Public से
(c) Government से

The oldest and most traditional form of organising public sector enterprises is:

a) Statutory corporation
b) Departmental undertaking
c) Government companies
d) Both B and C

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को संगठित करने का सबसे पुराना और सबसे पारंपरिक रूप है:

a) सांविधिक निगम
b) विभागीय उपक्रम
c) सरकारी कंपनियाँ
d) B और C दोनों

Ans
(1) only c
(2) only a
(3) only b
(4) only a and c
(5) only b and c
(6) All of the above

Departmental undertakings are considered as a part or an extension of its _____:

a) Holding company

b) Ministry

c) State government

d) Municipal corporation

विभागीय उपक्रमों को इसके _____ का एक हिस्सा या विस्तार माना जाता है:

a) होल्डिंग कंपनी

b) मंत्रालय

c) राज्य सरकार

d) नगर निगम

## Departmental Undertakings:

- This is the oldest and most traditional form of organising public enterprises. These enterprises are established as departments of the ministry and are considered part or an extension of the ministry itself.
- यह सार्वजनिक उद्यमों के संगठन का सबसे पुराना और पारंपरिक तरीका है। ये उद्यम मंत्रालय के विभागों के रूप में स्थापित होते हैं और इन्हें मंत्रालय का ही एक हिस्सा या विस्तार माना जाता है।

## Features The main characteristics:

(i) The funding of these enterprises come directly from the Government Treasury and are an annual appropriation from the budget of the Government. The revenue earned by these is also paid into the treasury;

(ii) They are subject to accounting and audit controls applicable to other Government activities;

(i) इन उदयमों का वित्तपोषण सीधे सरकारी खजाने से होता है और यह सरकार के बजट से वार्षिक विनियोजन होता है। इनसे अर्जित राजस्व भी खजाने मे जमा किया जाता है;

(ii) ये अन्य सरकारी गतिविधियों पर लागू लेखांकन और लेखापरीक्षा नियंत्रणों के अधीन हैं;

## Features The main characteristics:

(iii) The employees of the enterprise are Government servants and their recruitment and conditions of service are the same as that of other employees directly under the Government. They are headed by Indian Administrative Service (IAS) officers and civil servants who are transferable from one ministry to another;

(iii) उदयम के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी भर्ती और सेवा की शर्तें सरकार के सीधे अधीन अन्य कर्मचारियों के समान हैं। इनका नेतृत्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी और सिविल सेवक करते हैं, जिनका एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरण किया जा सकता है;

**Merits:**

- (i) These undertakings facilitate the Parliament to exercise effective control over their operations;
- (ii) These ensure a high degree of public accountability;
- (iii) Where national security is concerned, this form is most suitable since it is under the direct control and supervision of the concerned Ministry.

**गुण:**

(i) ये उपक्रम संसद को अपने कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सुविधा प्रदान करते हैं;

(ii) ये उच्च स्तर की सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं;

(iii) जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, यह स्वरूप सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि यह संबंधित मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होता है।

## Limitations

- i) Departmental undertakings fail to provide flexibility, which is essential for the smooth operation of business;
- (ii) The employees or heads of departments of such undertakings are not allowed to take independent decisions, without the approval of the ministry concerned. This leads to delays, in matters where prompt decisions are required;

(i) विभागीय उपक्रम लचीलापन प्रदान करने में विफल रहते हैं, जो व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है;

(ii) ऐसे उपक्रमों के कर्मचारियों या विभागाध्यक्षों को संबंधित मंत्रालय की स्वीकृति के बिना स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति नहीं है। इससे उन मामलों में देरी होती है जहाँ शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है;

## Limitations

(iii) These enterprises are unable to take advantage of business opportunities. The bureaucrat's over-cautious and conservative approval does not allow them to take risky ventures;

(iv) There is red tapism in day-to-day operations and no action can be taken unless it goes through the proper channels of authority;

(v) There is a lot of political interference through the ministry;

## सीमाएँ

(iii) ये उदयम व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। नौकरशाहों की अति-सतर्क और रूढ़िवादी स्वीकृति उन्हें जोखिम भरे उपक्रम करने की अनुमति नहीं देती;

(iv) दैनिक कार्यों में लालफीताशाही है और जब तक उचित प्राधिकरण के माध्यम से कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती;

(v) मंत्रालय के माध्यम से बहुत अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होता है;

_____is an example of a statutory corporations:

a) Post and telegraph department

b) SBI

c) SAIL

d) ONGC

Govt. Company

_____ एक वैधानिक निगम का उदाहरण है:

a) डाक और तार विभाग

b) एसबीआई

c) सेल

d) ओएनजीसी

## Statutory corporations:

- They are public enterprises brought into existence by a Special Act of the Parliament.
- This is a corporate body created by the legislature with defined powers and functions and is financially independent with a clear control over a specified area or a particular type of commercial activity.

## वैधानिक निगम:

- ये संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में लाए गए सार्वजनिक उदयम हैं।
- यह विधायिका द्वारा निर्मित एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसके पास परिभाषित शक्तियाँ और कार्य हैं और यह वित्तीय रूप से स्वतंत्र है तथा किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या किसी विशेष प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि पर इसका स्पष्ट नियंत्रण होता है।

## Statutory corporations:

- It is a corporate person and has the capacity of acting in its own name.
- Statutory corporations therefore have the power of the government and considerable amount of operating flexibility of private enterprise.

## वैधानिक निगम:

- यह एक कॉर्पोरेट इकाई है और अपने नाम से कार्य करने की क्षमता रखती है।
- इसलिए, वैधानिक निगमों के पास सरकार की शक्तियाँ और निजी उदयम की तरह काफ़ी हद तक परिचालन लचीलापन होता है।

## Features

(i) This type of organisation is wholly owned by the state. The government has the ultimate financial responsibility and has the power to appropriate its profits. At the same time, the state also has to bear the losses, if any;

(ii) A statutory corporation is a body corporate and can sue and be sued, enter into contract and acquire property in its own name;

(i) इस प्रकार का संगठन पूर्णतः राज्य के स्वामित्व में होता है। सरकार की अंतिम वित्तीय ज़िम्मेदारी होती है और उसे अपने लाभों को हड़पने का अधिकार होता है। साथ ही, यदि कोई हानि होती है, तो उसे राज्य को भी वहन करना होता है;

(ii) एक सांविधिक निगम एक निगमित निकाय होता है और वह मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, अनुबंध कर सकता है और अपने नाम पर संपत्ति अर्जित कर सकता है;

(iv) A statutory corporation is not subject to the same accounting and audit procedures applicable to government departments. It is also not concerned with the central budget of the Government;

(vi) The employees of these enterprises are not government or civil servants and are not governed by government rules and regulations.

(iv) एक सांविधिक निगम सरकारी विभागों पर लागू समान लेखा और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन नहीं होता है। इसका सरकार के केंद्रीय बजट से भी कोई संबंध नहीं होता है;

(vi) इन उद्यमों के कर्मचारी सरकारी या सिविल सेवक नहीं होते हैं और सरकारी नियमों और विनियमों द्वारा शासित नहीं होते हैं।

## Merits

(i) They enjoy independence in their functioning and a high degree of operational flexibility. They are free from undesirable government regulation and control;

(i) इन्हें अपने कामकाज में स्वतंत्रता और उच्च स्तर का परिचालन लचीलापन प्राप्त है। ये अवांछित सरकारी विनियमन और नियंत्रण से मुक्त हैं;

## Merits

(ii) Since the funds of these organisations do not come from the central budget, the government generally does not interfere in their financial matters, including their income and receipts;

(ii) चूँकि इन संगठनों का धन केंद्रीय बजट से नहीं आता है, इसलिए सरकार आमतौर पर इनके वित्तीय मामलों, जिनमें इनकी आय और प्राप्तियाँ भी शामिल हैं, में हस्तक्षेप नहीं करती है;

- Since they are autonomous organisations they frame their own policies and procedures within the powers assigned to them by the Act. The Act may, however, provide few issues/ matters which require prior approval of a particular ministry;
- चूँकि ये स्वायत्त संगठन हैं, इसलिए ये अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अपनी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ स्वयं बनाते हैं। हालाँकि, अधिनियम कुछ ऐसे मुद्दों/मामलों का प्रावधान कर सकता है जिनके लिए किसी विशेष मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो;

## Limitations

(i) Government and political interference has always been there in major decisions or where huge funds are involved;

(ii) Where there is dealing with public, rampant corruption exists;

(iii) The Government has a practice of appointing advisors to the Corporation Board. This curbs the freedom of the corporation in entering into contracts and other decisions.

(i) बड़े फैसलों या जहाँ भारी धनराशि शामिल हो, वहाँ सरकारी और राजनीतिक हस्तक्षेप हमेशा से रहा है;

(ii) जहाँ जनता से लेन-देन होता है, वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(iii) सरकार निगम बोर्ड में सलाहकार नियुक्त करने की प्रथा रखती है। इससे निगम की अनुबंध और अन्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगता है।